

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

प्रेषक,

अविनाश कुमार,
सचिव।

सेवा में,

मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई, राँची;
संबंधित अधीक्षण अभियंता/संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी;
जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची।

राँची, दिनांक : 09.12.2013

विषय :- मॉग संख्या-50-लघु सिंचाई विभाग के अन्तर्गत मुख्य शीर्ष-4702-लघु सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय, लघु शीर्ष-796-जन-जातीय क्षेत्रीय उपयोजना, उप शीर्ष-28-लघु सिंचाई योजनाओं का निर्माण (ए.आई.बी.पी.), विस्तृत शीर्ष-05-निर्माण 45 मुख्य निर्माण कार्य, विपत्र कोड-50P470200796280545 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2013-14 में व्यय हेतु निधि का आवंटन।

महाशय,

वित्तीय वर्ष 2013-14 में व्यय हेतु बजट मुख्य शीर्ष 4702-लघु सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय के अंतर्गत परिशिष्ट-1 में दर्शाये गये लघु शीर्ष/उप शीर्ष के अधीन अंकित कार्यालयों को आवंटन संसूचित किया जाता है :-

क्र.	मॉग संख्या/मुख्य शीर्ष	लघु शीर्ष/उप शीर्ष	विस्तृत शीर्ष/विपत्र कोड	आवंटित राशि (लाख रु. में)
1	2	3	4	5
1.	50-लघु सिंचाई विभाग /4702-लघु सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय	796-जन जातीय क्षेत्रीय उपयोजना / 28-लघु सिंचाई योजनाओं का निर्माण (ए.आई.बी.पी.)	05-निर्माण 45 मुख्य निर्माण कार्य / 50P470200796280545	94.00

आवंटित राशि - ₹ चौरानवे लाख मात्र।

- आवंटित राशि वर्ष 2013-14 के बजट उपबंध ₹ 800.00 लाख (₹ आठ करोड़) मात्र के अंतर्गत है।
- आवंटित राशि के निकासी की प्रक्रिया एवं शर्तें वित्त विभागीय स्थायी अनुदेश का पत्रांक 2561 वि. (2) दिनांक 17.04.98 एवं 1800 (वि.) दि. 15.07.2003 के आलोक में होगा।
- आवंटित राशि का व्यय प्रशासनिक स्वीकृति एवं तकनीकी स्वीकृति के अंतर्गत परिशिष्ट 1 पर वर्णित कार्यों के अनुरूप किया जायेगा।
- संबंधित मुख्य अभियंता एवं संबंधित अधीक्षण अभियंता योजनाओं की भौतिक एवं वित्तीय समीक्षा करेंगे एवं यह सुनिश्चित करेंगे कि व्यय निर्धारित नियमों के अनुरूप हो।
- राशि की निकासी के पूर्व संबंधित विपत्र/चेक पर निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा इस प्रसंगाधीन आवंटन आदेश की संख्या एवं तिथि का उल्लेख करना होगा, जिसके आधार पर संबंधित विपत्र/चेक में निहित राशि की निकासी की जा रही है। साथ ही इस आशय का प्रमाण पत्र भी विपत्र/चेक पर अंकित करना होगा कि विपत्र में निहित राशि बजट उपबंध तथा आवंटित राशि के अधीन है और राशि की निकासी के लिए संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वयं सक्षम पदाधिकारी है। प्रत्येक विपत्र/चेक के साथ संबंधित आवंटन आदेश की अभिप्रमाणित प्रति निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा अनिवार्य रूप से संलग्न की जायेगी।
- सरकारी नियम/अधिनियम यथा वन अधिनियम 1980 आदि का उल्लंघन नहीं हो यह सुनिश्चित किया जाय।
- राशि की निकासी कर उसे चालू/बचत खाता में नहीं रखा जाय।

(ओंकार नाथ)
सहायक अभियंता

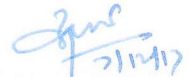
(मुक्ति साधन चौरसिया)
उप सचिव (अभि.)

(सुबोध कुमार सिन्हा)
संयुक्त सचिव (अभि.)

9. आवंटित राशि से दायित्व का भुगतान या अन्य मद में व्यय बिना अनुमति के नहीं किया जाय।
10. जिस शीर्ष के अंतर्गत उपर्युक्त राशि आवंटित की जा रही है, निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उसी शीर्ष के अंतर्गत भारित करेंगे। प्रत्येक निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी पूर्णतः सुनिश्चित हो लेंगे कि इकाईवार व्यय की सीमा किसी भी परिस्थिति में संबंधित इकाई के अंतर्गत आवंटित राशि से अधिक नहीं हो, अन्यथा अधिकाई व्यय की पूरी जवाबदेही संबंधित पदाधिकारी पर होगी।
11. बिहार वित्तीय नियमावली (भाग-1) के नियम 473 एवं 475 में विहित निदेश/वित्तीय नियमावली बजट मैनुअल/सचिवालय अनुदेश तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में विहित प्रावधानों तथा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत अनुदेशों का दृढ़तापूर्वक अनुपालन किया जाना संबंधित मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियंता/कार्यपालक अभियंता का दायित्व होगा।
12. AIBP योजनाओं के लिए MOU में भारत सरकार द्वारा अंकित सभी अनुदेशों का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। साथ ही तत्संबंधी प्रतिवेदन विभाग को ससमय उपलब्ध कराया जाय।
13. प्रत्येक निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित शीर्षान्तर्गत हुए व्यय का सत्यापन नियमानुसार त्रैमासिक रूप से महालेखाकार राँची के साथ निश्चित रूप से कराते रहेंगे तथा व्यय प्रतिवेदन एवं सत्यापन विवरणी विभाग को समर्पित करेंगे।
14. विभिन्न इकाई मदों में आवंटित राशि से यदि राशि बच जाती है तो उसका इकाईवार प्रत्यर्पण 28 फरवरी 2014 तक निश्चित रूप से कर देंगे।

नोट : यह आवंटनादेश जल संसाधन विभाग के वेब साईट (<http://www.wrdjharkhand.nic.in>) पर भी उपलब्ध है।

अनु. :- यथोक्त


(अविनाश कुमार)
सचिव

ज्ञापांक :- 153

राँची, दिनांक :- 09.12.2013

प्रतिलिपि :- महालेखाकार (लेखा एवं हक.) झारखण्ड पो. - हिन्नु राँची/कोषागार पदाधिकारी, राँची/डोरण्डा/जमशेदपुर/लातेहार/लोहरदगा सहित राज्य के सभी कोषागार एवं उपकोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनु. :- यथोक्त

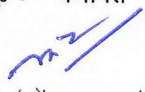

(अविनाश कुमार)
सचिव

ज्ञापांक :- 153

राँची, दिनांक :- 09.12.2013

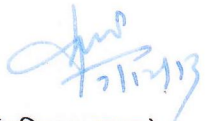
प्रतिलिपि :- प्रधान सचिव, वित्त विभाग/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित उपायुक्त, सचिव योजना एवं विकास विभाग/आंतरिक वित्तीय सलाहकार जल संसाधन विभाग/मुख्य अभियंता (मो.) राँची/अभियंता प्रमुख -I एवं II जल संसाधन विभाग /संयुक्त सचिव (अभि.)/उप सचिव (अभि.) जल संसाधन विभाग को पौंच प्रति/प्रशाखा-7 को दस अतिरिक्त प्रतियों में/सांख्यिकी पदाधिकारी जल संसाधन विभाग/ प्रधान सचिव के सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची/वेब सूचना प्रबंधक, जल संसाधन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनु. :- यथोक्त


(ओंकार नाथ)
सहायक अभियंता


(मुक्ति साधन चौरसिया)
उप सचिव (अभि.)


(सुबोध कुमार सिन्हा)
संयुक्त सचिव (अभि.)


(अविनाश कुमार)
सचिव

पत्रांक -

153

/ रॉकी, दिनांक -

09.12.2013

परिशिष्ट - 1

मॉग संख्या-50-लघु सिंचाई विभाग,
मुख्य शीर्ष-4702-लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय,
लघु शीर्ष-796-जन जातीय क्षेत्रीय उपयोजना,
उपशीर्ष-28-लघु सिंचाई योजनाओं का निर्माण (ए.आई.बी.पी.) (अ०के०स०)
विस्तृत शीर्ष-05-निर्माण 45 मुख्य निर्माण कार्य,
विपत्र कोड-50P470200796280545
बजट उपबंध (वर्ष 2013-14) रु. 800.00 लाख

(लाख ₹ में)

क्र.	कार्यालय का नाम	जिला	प्रखण्ड	योजना का नाम	प्रशासनिक स्वीकृति का प्रसंग	प्रशासनिक स्वीकृति की राशि	मार्च 2013 तक का व्यय	वित्तीय वर्ष 2013-14 में आवंटन			अभ्युक्ति
								पूर्व का आवंटन	वर्तमान आवंटन	कुल आवंटन	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
श्रृंखलाबद्ध चेकडैम का निर्माण											
1	लघु सिंचाई प्रमंडल, लातेहार	लातेहार	मनिका	पवही नाला पर श्रृं. चेकडैम	47/07.03.11	60.129	47.045	0.000	30.000	30.000	Phase-IV
		लातेहार	मनिका	ब्रम नदी पर श्रृं. चेकडैम	47/07.03.11	66.640	51.366				
		लातेहार	चंदवा	गनियारी नाला पर श्रृं. चेकडैम	47/07.03.11	59.056	19.244				
		लातेहार	चंदवा	अमझरिया नदी पर श्रृं. चेकडैम	47/07.03.11	156.510	-				
		लातेहार	लातेहार	डुडंगी नाला पर श्रृं. चेकडैम	47/07.03.11	77.540	59.776				
		लातेहार	गारु	टाटी नाला पर श्रृं. चेकडैम	47/07.03.11	79.950	44.369				
		लातेहार	महुआटांड	नकटी नाला पर श्रृं. चेकडैम	47/07.03.11	141.770	59.902				
		लातेहार	मनिका	तिसवा नदी पर पक्का चेकडैम	47/07.03.11	29.020	27.115				
योग							0.000	30.000	30.000		
2	लघु सिंचाई प्रमंडल लोहरदगा	लोहरदगा	सेन्हा	केराझरियो श्रृंखलाबद्ध चेकडैम	47/07.03.11	141.220	60.391	0.000	30.000	30.000	Phase-IV
		लोहरदगा	सेन्हा	काजरहाट नाला श्रृंखलाबद्ध चेकडैम	47/07.03.11	123.290	89.609				
		लोहरदगा	कुड़	सपही नाला श्रृंखलाबद्ध चेकडैम	47/07.03.11	147.927	-				
योग							0.000	30.000	30.000		
3	लघु सिंचाई प्रमंडल, जमशेदपुर	पू. सिंहभूम	पटमदा	खरखरी नाला पर श्रृं.चेकडैम	47/07.03.11	141.050	12.000	0.000	34.000	34.000	Phase-IV
		पू. सिंहभूम	पटमदा	लोआडीह नाला पर श्रृं.चेकडैम	47/07.03.11	125.360	26.208				
		पू. सिंहभूम	चाकुलिया	कूपन नाला पर श्रृं.चेकडैम	47/07.03.11	213.800	76.918				
		पू. सिंहभूम	चाकुलिया	गंधर्पी-2 नाला पर श्रृं.चेकडैम	47/07.03.11	199.030	19.819				
		पू. सिंहभूम	चाकुलिया	गंधर्पी-1 नाला पर श्रृं.चेकडैम	47/07.03.11	149.340	47.336				
		पू. सिंहभूम	चाकुलिया	सिमडी-1 नाला पर श्रृं.चेकडैम	47/07.03.11	168.740	96.460				
		पू. सिंहभूम	चाकुलिया	सिमडी-2 नाला पर श्रृं.चेकडैम	47/07.03.11	213.680	90.878				
		पू. सिंहभूम	बहरागोड़ा	असनाजोरा नाला पर श्रृं.चेकडैम	47/07.03.11	198.390	127.518				
		पू. सिंहभूम	बहरागोड़ा	सतनिशान नाला पर श्रृं.चेकडैम	47/07.03.11	228.390	191.897				
		पू. सिंहभूम	घाटशिला	खरसाती नदी पर श्रृं.चेकडैम	47/07.03.11	146.744	10.379				
योग							0.000	34.000	34.000		
सकल योग							0.000	94.000	94.000		
अतिरिक्त आवंटित राशि - ₹ चौरानवे लाख मात्र।											

(ओंकार नाथ)

सहायक अभियंता

(मुक्ति साधन चौरसिया)

उप सचिव(अभि०)

(सुबोध कुमार सिन्हा)

संयुक्त सचिव (अभि०)

(अविनाश कुमार)

सचिव